क्रम-संख्या--547

(6)

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 56

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 11 अगस्त, 1995

श्रावण 20, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1520/सत्रह-वि-1-1 (क) 11-1995

लखनऊ, 11 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 10 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1995)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायगा।

(2) धारा 2 दिनांक 30 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी धारा 3 दिनांक 30 नवम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (3) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1994" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1995" रख दिये जायेंगे।

धारा 34 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (1) में अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई समिति चीनी उत्पादन में लगी हो, और--

(एक) राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त अंशपूंजी एक करोड़ रुपये से कम न हो, या

(दो) समिति की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अंश समिति की कुल अंशपूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक हो, या

(तीन) राज्य सरकार ने समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो या समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, जिसकी कुल धनराशि समिति द्वारा इस प्रकार उधार ली गई कुल धनराशि के योग के पचास प्रतिशत से अधिक हो,

वहां राज्य सरकार को ऐसी समितियों और उनकी शीर्ष समिति अर्थात् उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की प्रबन्ध कमेटी का समापति, जो कि एक सरकारी सेवक होगा नाम-निर्दिष्ट करने का भी अधिकार होगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

4--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1995 और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध तभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 1520 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 11-1995

Dated Lucknow, August 11, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 10, 1995.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1995

(U. P. ACT No. 17 OF 1995)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1995.

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on December 30, 1994, section 3 shall be deemed to have come into force on November 30, 1994 and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of Section 29 of U. P. Act no. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3), in the second proviso, *for* the word and figures "December 31, 1994" the word and figures "December 31, 1995" shall be *substituted.*

Amendment of section 34

3. In section 34 of the principal Act, in sub-section (1) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :—

"Provided that where the society is engaged in production of sugar and—

(*i*) the share capital subscribed to by the State Government is not less than one crore rupees, or

(*ii*) the share of the State Government in the share capital of the society exceeds fifty per cent of the total share capital of the society, or

(*iii*) the State Government has given loans or made advances to the society or guaranteed the repayment of principal or payment of interest on debentures issued by the society or guaranteed the repayment of principal and interest on laons and advances to the society and the amount exceeds fifty per cent in the aggregate of the total amount so borrowed by the society,

the State Government shall also have the right to nominate the Chairman of the Committee of Management, who shall be a Government servant, of such societies and their apex society, namely, the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Ltd."

Repeal and savings

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1995 and the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 1995 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), or by the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 1994 or by the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Third Amendment) Ordinance, 1994, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 175 सा० विधा० --(2643)-1995-850 (मेक०)।